न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी श्री हरिमोहन मीना, आई0ए0एस0

मि0नं0 02 /अपील (आर0टी0आई) / 2021

संतोष कुमार जैन एम. कॉम एल.एल.बी. अतिरिक्त प्रशा. अधिकारी कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर निवास बी–140 अशोक विहार कर्मचारी कॉलोनी अलवर 301001 (राज.)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलेक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट झालावाड

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: **निर्णय** ::– दिनांकः 18.10.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना में से बिन्दु संख्या चार,पांच एवं छ को प्रश्नात्मक बताते हुए सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत आवेदन पत्र मे बिन्दु संख्या 4,5,6 जिसमे बिन्दु संख्या 4.– कृपया यदि उक्त दोनो पदो पर आपके जिले मे कार्यरत / पदस्थापित अधिकारियान / कर्मचारियान की आदिनांक तक पदोन्नति नही हुई है / नही हो पाई है / नही की गई है तो ऐसे विशेष कुछ कारणो / परेशानियो / दिक्कतो बाबत भी आवगत कराएं कि 4 वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी, पद होने एवं निरंतर बजट प्राप्त होने के बावजुद भी योग्य अनुभवी वरिष्ठ अधिकारियान / कर्मचारियान क्यो पदोन्नति नही पा रहे है एवं आर्थिक नुकसान / मानसिक नुकसान / सामाजिक नुकसान / पारिवारिक नुकसान सहते हुये निरंतर सेवानिवृत्त हो रहे है। पदौन्नतिया नही होने मे शिथिलता अरूचि रूखापन किस किस मे रहा है यथाः– स्वंय श्रीमान जिला कलेक्टर्स संबधित, श्रीमान प्रभारी अधिकारी (स्थापना प्रकोष्ठ) स्थापना प्रको0 के कर्मचारीयान अथवा स्वय वरिष्ठ पदौन्नत होने वाले सीनियर अनुभवी, योग्य स्वंय नाममात्र के अधिकारीयान / कर्मचारीयान में ? 5.– कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाएं कि यदि आपके कार्यालय मे संभवतः– संस्थापना अधिकारी का पद ही स्वीकृत नही है तो आपके जिला कार्यालय में पदस्थापित / कार्यरत कर्मचारियान / अधिकारियान का संस्थापनः– अधिकारी के पद पर प्रमोशन कौनसा उच्चाधिकारी करेगा यथाः–माननीय प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व विभाग सचिवालय जयपुर या श्रीमान चैयरमैन / निबंधक महोदय / महोदया राजस्व मण्डल राज0 अजमेर अथवा श्रीमान संबंधित संभागीय आयुक्त महोदयान। इसके साथ ही आपके जिला कार्यालय को संस्थापन अधिकारी के पद की आवश्यकता भी है।अथवा नही यह भी आवगत कराने का श्रम फरमाएं। 6.– कृपया यह भी अवगत कराने का श्रम फरमाएं कि आपके जिला कार्यालय मे स्वीकृत–प्रशासनिक अधिकारी के पद की भी आपके कार्यालय को आवश्यकता है अथवा नही, यदि है तो क्या और भी अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद की आवश्यकता आपका जिला कलैक्टर कार्यालय महसूस करता है। बाबत सूचना चाहे जाने पर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड द्वारा सूचना प्रश्नात्मक बताते हुए सूचना उपलब्ध नही कराई गई। जिससे असन्तुष्ट होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0जिला कलक्टर,झालावाड को नोटिस भिजवाया जाकर नोटिस उस आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 18.10.2021 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी अति0जिला कलक्टर,झालावाड द्वारा अपीलान्ट को पत्रांक 2716 दिनांक 30.09.2021 से बिन्दु संख्या 4 व 6 प्रश्नात्मक व Hypothetical होना व मीमों अनुसार रेकार्ड ना चाहा जाकर प्रश्न किया जाना बताया जाकर व क्रम संख्या 5 की सूचना मे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक / दिनांक 16.10.2019 की प्रति भिजवाई गई जाकर न्यायालय हाजा को अवगत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो सूचना अपीलार्थी द्वारा चाही गई है वह प्रश्नात्मक होने के साथ ही अस्पष्ट है जिसको सृजित करने के उपरान्त ही उपलब्ध कराई जा सकती थी। यहा हम स्पष्ट कर देना उचित समझते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी का कार्य सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना नही है, लोक सूचना अधिकारी केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये वाध्य है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी–अति0जिला कलक्टर,झालावाड द्वारा पत्रांक 2716 दिनांक 30.09.2021 से जो जवाव अपीलार्थी को भिजवाया गया है सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/10/2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिमोहन मीना)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर,झालावाड